कार्य ज्ञापन

रामदेव बनाम केन्द्रीय पी०

यालय

या 74/2016

न्यायालय

दिनांक आज्ञा का कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/12/17	राम सह पत्रावली प्रकाशित वादी द्वारा न्यायालय बाबत विद्युत कनेक्शन पेश किये जाने पत्रावली मूल वाद के साथ पेश की गयी। प्रकाशित तामील उप तामील उप०। मूल वाद वादी द्वारा विद्युत कनेक्शन पर स्थायी किया जा चुका है। अतः न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा को केवल ही स्थायी माना जाता है। पत्रावली फैसले हेतु होकर नियत है।	Idev Pujari 18/12/17

जिला कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)